उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–7
संख्याः 1211/XX–7–2018–01(63)2016
देहरादूनः दिनांक 19 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2018

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007(अधिनियम संख्याः 1 सन् 2008) की धारा 87 की उपधारा (1) सपठित धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी किये गये समस्त विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करते हुए, उत्तराखण्ड पुलिस के आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) के चयन, प्रोन्नति इत्यादि हेतु निम्नलिखित सेवा नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा नियमावली, 2018

भाग–1 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा नियमावली, 2018 होगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा ऐसी सेवा है, जिसमें समूह ''ग'' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–

(क) ''अधिनियम'' से समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश) 2002 अभिप्रेत है,

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से पुलिस अधीक्षक अभिप्रेत है,

(ग) ''भारत का नागरिक'' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये,

(घ) ''संविधान'' से भारत का संविधान अभिप्रेत है,

(ङ.) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(च) ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,

(छ) ''विभागाध्यक्ष'' से पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

69

(ज) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(झ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" से अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्ग अभिप्रेत है,

(ञ) "पुलिस मुख्यालय" से पुलिस महानिदेशक, कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून अभिप्रेत है,

(ट) "सेवा" से उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा अभिप्रेत है,

(ढ) "चयन समिति" से सेवा के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समिति अभिप्रेत है,

(ठ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

(ड) "चयन आयोग" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है।

भाग–2–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) **सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या परिशिष्ट–1 में दी गई है, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने वाला आदेश पारित न हो**
परन्तु यह कि :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं अथवा राज्यपाल उसे इस प्रकार प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा,

(दो) राज्यपाल समय–समय ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–3–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(1) **आरक्षी**–आरक्षी के शत् प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(2) **मुख्य आरक्षी**–(1) मुख्य आरक्षी के 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती आरक्षी जिनकी चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो तथा जिनकी पुलिस विभाग मे मौलिक नियुक्ति की तिथि से कम से कम 05 वर्ष की सेवा

पूर्ण हो चुकी हो, के मध्य आयोजित विभागीय परीक्षा/ प्रान्तीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से।

(2) 50 प्रतिशत ऐसे आरक्षियों में से जिन्होंने चयन वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–4–अर्हताएं

अर्हताएं

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक, हो ।

(ख) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। राजकीय सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। भूतपूर्व सैनिकों का पंजीकरण उत्तराखण्ड के किसी जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में होना आवश्यक है तथा पंजीकरण कार्ड भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

शैक्षिक अर्हता

8. आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की अर्हता उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल द्वारा मान्य "इण्टरमीडिएट परीक्षा" उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

अधिमानी अर्हताः– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः–

1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

9. आरक्षी के पद पर भर्ती कि लिये यह आवश्यक है कि पुरूष अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 22 वर्ष होगी। महिला अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 25 वर्ष होगी।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य आरक्षण श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी सम्बन्धित अधिनियम में और भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

10. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

11. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसके एक से अधिक जीवित पति हो, परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

12. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय।

भाग—5—भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

13. सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ, निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेगीः—

(एक) व्यापक परिचालन वाले कम से कम 02 दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके:

(दो) कार्यालय के सूचना—पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा:

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों अधिसूचित करके।

चयन समिति

14. पुलिस मुख्यालय स्तर द्वारा भर्ती प्रकिया हेतु जनपदवार चयन समिति गठित की जायेगी। चयन समिति के अध्यक्ष/सदस्य निम्न पदाधिकारी होंगेः—

(I) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर का 01 अधिकारी -- अध्यक्ष।

(II) अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 02 अधिकारी - सदस्य।

चयन समिति मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को सम्मिलित किया जायेगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया

15. आरक्षियों के पदों पर सीधी भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायेगीः—

(क) आवेदन पत्र

(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन पत्र भरेगा। एक से अधिक भर्ती केन्द्र पर आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन पत्र

निरस्त कर दिये जायेगें। आवेदन **पत्र** के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण **पत्र** फर्जी पाये जाने सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(दो) आवेदन **पत्र** के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जाएगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक, सम्बन्धित जानकारी होगी।

(तीन) भर्ती हेतु निर्गत विज्ञप्ति में अभ्यर्थियों हेतु आवेदन **पत्र** भी प्रिन्ट कराया जायेगा एवं पूर्ण रूप से भरे हुए तथा समस्त संलग्नकों सहित आवेदन **पत्र** सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन **पत्र** जमा करने की अन्तिम तिथि की सांय 5.00 बजे तक जमा करना होगा। आवेदन **पत्र** भर्ती केन्द्र के निर्धारित कार्यालय में कार्यालय दिवस में सीधे भी जमा किये जा सकते है। अपूर्ण आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(चार) अभ्यर्थी के दो स्वप्रमाणिक फोटो समुचित स्थानों पर चिपकाये जायेगे।

(पाँच) आवेदन–**पत्र** के साथ 11X4 इंच के दो लिफाफे, जिन पर पांच–पांच रूपया का डाक टिकट चस्पा हो, तथा आवेदक का अपना नाम व पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट अंकित हो एवं 02 नवीनतम एवं समरूप पासपोर्ट साईज की स्वप्रमाणिक रंगीन फोटो जिन्हें प्रवेश **पत्र** इत्यादि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उपयोग में लाया जायेगा, संलग्न करने आवश्यक होंगे।

(छः) भर्ती हेतु निर्गत विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन **पत्र** को A–4 साईज के पेपर में अंकित कराकर एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराकर भर्ती केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(सात) प्रत्येक आवेदन **पत्र** में यथास्थिति आयु, दसवीं बारहवीं और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण **पत्र**, होम गार्ड प्रमाण **पत्र**, जाति प्रमाण पत्र और स्वतंत्रा संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणिक प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।

समुचित रूप से भरे गये पूर्ण आवेदन पत्रों को सम्बन्धित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालय (भर्ती केन्द्र) में जमा कराना आवश्यक होगा।

(ख) प्रवेश पत्र

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र/समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, प्रवेश **पत्र** जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण **पत्र** आवेदन **पत्र** में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो, किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो, तो अभ्यर्थी का आवेदन **पत्र** निरस्त किया जा सकता है। अभ्यर्थियों के प्रवेश **पत्र** सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा जारी किये जायेंगे जिस जनपद/भर्ती केन्द्र में आवेदन **पत्र** जमा/प्रेषित किये गये हों। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा/ लिखित परीक्षा का दिनांक और समय सहित, परीक्षा–कोड /नाम/पता और परीक्षा केन्द्र स्थल आदि का उल्लेख सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। भर्ती के सम्बन्ध में निर्धारित तिथियों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना स्थानीय

समाचार पत्रों के माध्यम से भी सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा दी जा सकती है। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जाने हेतु अपेक्षित हों, को प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुच जाने चाहिए। यदि प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी सम्बन्धित भर्ती केन्द्र से सम्पर्क कर सकते है।

(ग) **शारीरिक मानक परीक्षा**

समस्त पात्र अभ्यर्थी, एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जिसकी प्रक्रिया **परिशिष्ट–2** में दी गयी है।

(घ) **शारीरिक दक्षता परीक्षा**

ऐसे अभ्यर्थी, जो नियम 15 (ग) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किये गये हो, की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया **परिशिष्ट–3** में दी गयी है।

(ड.) **लिखित परीक्षा**

शारिरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया **परिशिष्ट–4** में दी गयी है।

(च) **अन्तिम चयन/मैरिट सूची**

शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के अंकों के योग के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों एवं वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों (प्रभारी भर्ती केन्द्र) द्वारा जनपदवार अन्तिम मैरिट सूचियां तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उसे वरिष्ठता क्रम में रखा जायेगा। यदि दोनों अभ्यर्थियों की जन्म तिथि भी एक समान होती है तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठता प्रदान की जायेगी, लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक के आधार पर वरिष्ठता प्रदान की जायेगी। अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी एवं पुलिस विभाग की बैबसाईट तथा स्थानीय पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनायी जायेगी।

(छ) **चिकित्सा/ स्वास्थ्य परीक्षण**

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण होगा जो ऐसा होगा जैसा **परिशिष्ट–05** में विहित है।

शपथ पत्र

16. अन्तिम रूप से चयन के उपरान्त चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र देना होगा। शपथपत्र का प्रारूप चयन समिति द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा में अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

चरित्र सत्यापन

17. नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र और उनके आपराधिक अभिलेख

का सत्यापन, कराया जायेगा। यदि चरित्र सत्यापन में एंव अन्य किसी भी माध्यम से यह ज्ञात होता है कि अभ्यर्थी द्वारा शपथपत्र में ऐसे तथ्यों को छिपाया गया है जो उसे चयन प्रकिया से वाधित करते हों, तो न केवल अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जायेगा, अपितु उसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

बन्ध पत्र

18. अन्तिम रूप से चिकित्सीय परीक्षण में सफल/चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का बन्ध पत्र लिया जायेगा कि वे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष तक यदि उनके द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है अथवा उन्हें सेवा से हटाया जाता है अथवा अभ्यर्थी द्वारा विभाग छोडा जाता है तो नियमानुसार उनके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एंव प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें भुगतान किये गये वेतन की धनराशि का भुगतान उन्हें पुलिस विभाग को करना होगा।

नियुक्ति आदेश

19. अन्तिम रूप से चिकित्सीय परीक्षण में सफल/चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। नियुक्ति आदेश का प्रारूप सम्बन्धित अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रशिक्षण

20. चयनित अभ्यर्थियों से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय।

परीक्षा शुल्क

21. तत्समय उत्तराखण्ड शासन द्वारा समूह "ग" की अन्य परीक्षाओं हेतु निर्धारित किये जाने वाले परीक्षा शुल्क के अनुसार परीक्षा शुल्क लिया जायेगा ।

परिवीक्षा

22. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसी दिनांक विनिर्दिष्ट की जाएगी, जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

भाग– 6– पदोन्नति प्रकिया

चयन समिति 23. पदोन्नति की प्रकिया पुलिस मुख्यालय स्तर से गठित की जाने वाले चयन समिति द्वारा किया जायेगा, चयन समिति के अध्यक्ष/सदस्य निम्न पदाधिकारी होंगेः–

(I) पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर का 01 अधिकारी – अध्यक्ष

(II) अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर का 03 अधिकारी– सदस्य

चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को सम्मिलित किया जायेगा। समिति के सहायतार्थ समिति के अनुरोध पर अन्य अपेक्षित अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किये जा सकेंगे।

पदोन्नति की प्रक्रिया 24. मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति पात्र आरक्षियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति से की जाएगीः–

(क) पदोन्नति के लिये निर्धारित 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जाएंगी। केवल ऐसे आरक्षी, जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हुई हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे।

(ख) पदोन्नति के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत रिक्तियां अनुपयुक्त को छोड़ते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन द्वारा भरी जाएंगी।
विभागीय परीक्षा/प्रान्तीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति की विस्तृत प्रकिया (मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना हेतु **परिशिष्ट–6** एंव मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस हेतु **परिशिष्ट–7)** में और अनुपयुक्त को छोड़ते हुये ज्येष्ठता(नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस हेतु) के माध्यम से **परिशिष्ट–8** में दी गयी है।

(ग) पदोन्नति (संवर्ग एवं रैंकर) प्राप्त मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त आंवटित संवर्ग में ही अग्रिम पदोन्नति अनुमन्य होगी।

पदनामित किये जाने के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध 25. ऐसे प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी, जिन्होंने मौलिक पद (आरक्षी के पद की सेवा को मिलाकर) के संदर्भ में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है और जिन्हें उप निरीक्षक के पद के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत हो चुका है को मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) का पदनाम दिया जायेगा। मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान), सहायक उप निरीक्षक(एम) की भांति वर्दी धारण करेंगे एवं कार्यो का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

भाग–7–स्थायीकरण, ज्येष्ठता, वेतन आदि

स्थायीकरण

26. नियम 22 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्थायीकरण कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय,

ज्येष्ठता

27. **(क)** किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

पदोन्नति प्रकिया के समय नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना के कर्मियों की ज्येष्ठता सूची संवर्गवार तैयार की जायेगी।

(ख) विभागीय चयनत परीक्षा से चयनित मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता प्रवीणता सूची के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ग) एक ही चयन वर्ष में विभागीय चयन परीक्षा से नियुक्त मुख्य आरक्षी एवं ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के लिये निहित कोटा के अनुसार चकानुक्रम (प्रथम स्थान ज्येष्ठता से पदोन्नत व्यक्ति का होगा) में निर्धारित किये जाने का प्राविधान भी किया जायेगा।

(घ) मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थी की सेवा की गणना पी0टी0सी0 प्रशिक्षण अवधि के प्रारम्भ से की जायेगी।

वेतनमान

28. **(1)** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) आरक्षी के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान प्रदान किया जाएगा। इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिए गए हैं :–

(क) मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी (नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना)

पदनाम	वेतनमान
मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरूष)	रू0 25500–81100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–4
मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस (महिला)	रू0 25500–81100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–4
मुख्य आरक्षी अभिसूचना	रू0 25500–81100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–4
आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरूष)	रू0 21700–69100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–3
आरक्षी नागरिक पुलिस(महिला)	रू0 21700–69100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–3
आरक्षी अभिसूचना	रू0 21700–69100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–3

(ख) मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी (सशस्त्र पुलिस)

पदनाम	वेतनमान
मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस(यातायात, बीडीएस, जल पुलिस आदि)	रू0 25500–81100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–4
आरक्षी सशस्त्र पुलिस (यातायात, बीडीएस, जल पुलिस आदि)	रू0 21700–69100 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल–3

भाग–8–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 29. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 30. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अंतर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होगें।

सेवाकाल के दौरान वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण 31. प्रत्येक आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी का स्वास्थ्य परीक्षण शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 32. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामलें में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी।

व्यावृत्ति 33. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गो और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्याः 1211 (1)/XX—7—2018—01(63)2016, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. कार्यालय महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की 250 प्रतियां प्रकाशित कराते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार की विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Vkumar

(विजय कुमार)
उप सचिव

परिशिष्ट--1

नियम--4 देखें

(क) मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी (नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना)

क.सं.	पदनाम	स्वीकृत नियतन
1	मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरूष)	966
2	मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस (महिला)	76
3	मुख्य आरक्षी अभिसूचना	320
	योग	**1362**
4	आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरूष)	7392
5	आरक्षी नागरिक पुलिस(महिला)	698
6	आरक्षी अभिसूचना	472
	योग	**8562**

(ख) मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी (सशस्त्र पुलिस)

क.सं.	पदनाम	स्वीकृत नियतन
1	मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस(यातायात, बी॰डीएस, जल पुलिस आदि)	985
2	आरक्षी सशस्त्र पुलिस (यातायात, बीडीएस, जल पुलिस आदि)	3565

अभियुक्ति– यातायात, बीडीएस, जल पुलिस आदि में कर्मियों की पूर्ति अन्य संवर्गों के कर्मियों से की जा सकेगी परन्तु इनका मूल पद पर धारणाधिकार यथावत् बना रहेगा।

परिशिष्ट–2

नियम–15(ग)देखें

आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षण

1. पुरूष और महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है :-

(क) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक–

(अ) ऊंचाई

सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	165 से0मी0
पर्वतीय क्षेत्र की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	160 से0मी0
अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	157.50 से0मी0

(ब) सीने की माप

	बिना फुलाये	फुलाने पर
सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये	78.8 से0मी0	83.8 से0मी0
पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	76.3 से0मी.	81.3 से0मी0

नोटः– सीने में कम से कम 05 से0मी0 का फुलाव आवश्यक है।

(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक–

(अ) ऊंचाई

सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति की अभ्यर्थिनियों के लिए न्यूनतम	152 से0मी0
पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थिनियों के लिए न्यूनतम	147 से0मी0

(ब) वजन न्यूनतम 45 कि0ग्रा0 होना अनिवार्य है।

2. **पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारणः–** देहरादूनः पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाडी का क्षेत्र। नैनीताल तथा गढ़वाल, कोटद्वार सहित सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढवाल तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग।

"नवसृजित जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोडा, चमोली एवं पिथौरागढ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।"

3. स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।

4. सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम मे आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण सम्बन्धित भर्ती केन्द्र के प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

5. शारीरिक मानक परीक्षण की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से भर्ती केन्द्र प्रभारी के पर्यवेक्षण में कराई जायेगी।

6. भर्ती बोर्ड के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होगें।

7. इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा.

8. शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट–3

नियम–15(घ) देखें

सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण

1. पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों हेतु आईटम/आईटमवार निर्धारित अंको का विवरण निम्नवत् है

(क) पुरूष अभ्यर्थियों हेतु आईटम/अईटमवार निर्धारित अंकों का विवरण निम्नवत् है:–

क.सं.	आईटम का नाम	दूरी/समय	अंक
1	क्रिकेट बाल थ्रो (पूर्णांक 20)	50 मीटर 55 मीटर 60 मीटर 65 मीटर 70 मीटर	10 12 14 16 20
2	लम्बी कूद (पूर्णांक 20)	13 फीट 14 फीट 15 फीट 16 फीट 17 फीट 18 फीट	10 12 14 16 18 20
3	चिनिंग–अप(बीम) पूर्णांक–20(अभ्यर्थी अन्डर ग्रिप/ओवर ग्रिप, जो चाहे कर सकता है।)	5 बार छूना 7 बार छूना 8 बार छूना 9 बार छूना 10 बार छूना	10 12 14 16 20
4	(क) बैठक पूर्णांक–10	50 दो मिनट में 65 दो मिनट में 80 दो मिनट में 100दो मिनट में	4 6 8 10
	(ख)दण्ड पूर्णांक–10 (दण्ड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है)	25 चार मिनट में 35 चार मिनट में 50 चार मिनट में 75 चार मिनट में	4 6 8 10
5	दौड व चाल (03 किमी) (पूर्णांक 20)	20 मिनट में 18 मिनट में 16 मिनट में 14 मिनट में 12 मिनट में 10 मिनट में	10 12 14 16 18 20

(ख) महिला अभ्यर्थियों हेतु आईटम/आईटम वार निर्धारित अंकों का श्रेणीवार विवरण निम्नवत् हैः—

क.सं.	आईटम का नाम	दूरी/समय	अंक
1	किकेट बाल थ्रो (पूर्णांक 20)	16 मीटर	10
		20 मीटर	12
		24 मीटर	14
		28 मीटर	16
		32 मीटर	20
2	लम्बी कूद (पूर्णांक 20)	08 फीट	10
		09 फीट	12
		10 फीट	14
		11 फीट	16
		12 फीट	18
		13 फीट	20
3	दौड 50 मीटर (पूर्णांक 20)	16 सेकेण्ड	10
		15 सेकेण्ड	12
		14 सेकेण्ड	14
		13 सेकेण्ड	16
		12 सेकेण्ड	18
		11 सेकेण्ड	20
4	शटल रेस (25x04 मीटर) (पूर्णांक 20)	29 सेकेण्ड	10
		28 सेकेण्ड	14
		27 सेकेण्ड	18
		26 सेकेण्ड	20
5	स्किपिंग (पूर्णांक 20)	55 बार 1 मिनट में	10
		60 बार 1 मिनट में	12
		65 बार 1 मिनट में	14
		70 बार 1 मिनट में	16
		75 बार 1 मिनट में	18
		80 बार 1 मिनट में	20

2— उपरोक्तानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

3— शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय के प्रत्येक आईटम में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से भर्ती केन्द्र प्रभारी के पर्यवेक्षण में कराई जायेगी।

4— शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रत्येक आइटम में अभ्यर्थी को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50 प्रतिशत अंक से कम अंक प्राप्त करेगा उसे उसी स्तर से अनुयुक्त घोषित कर परीक्षा से बाहर कर दिया जायेगा।

5— शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रत्येक आइटम में अभ्यर्थी के उपस्थिति प्रपत्र मे हस्ताक्षर कराया जायेगा।

6— भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा अभ्यर्थियों की सूचियां/तालिकायें पहले से ही तैयार कर ली जायेंगी एवं शीट पर 20 अभ्यर्थियों के ही नाम लिखे जायेंगे। प्रत्येक अंक तालिका में सभी अभ्यर्थियों को अंक देने के

उपरान्त परीक्षक द्वारा उस पर अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेगे तथा उसे सील कर लिफाफे के बाहर अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक तथा परीक्षा के आइटमों का नाम अंकित कर चयन समिति के अध्यक्ष को दे दिया जायेगा शरीरिक दक्षता परीक्षा की अंक तालिका में कटिंग,ओवर राईटिंग न हो इसका विशेष ध्यान रखना परीक्षकों के लिये आवश्यक है, यदि सावधानी रखने के उपरान्त भी कहीं कटिंग हो जाती है तो इस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर चयन समिति के अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षर करायेंगे। अंक तालिकाओं की सभी प्रविष्टियां पैन से लिखी जायेंगी तथा पेसिल से लिखना वर्जित होगा। प्रत्येक दिवस अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के पश्चात् उनका परीक्षा परिणाम सील बन्द लिफाफे में सुरक्षित रखा जायेगा।

7— अनुत्तीर्ण घोषित किये गये सभी अभ्यर्थियों को अंक तालिकायें प्रदान की जायेंगी एंव इसकी प्रति सुसंगत अभिलेखों में दर्ज करा ली जायेंगी। अंक तालिकाओं की स्लिप निर्धारित प्रारूप में डुप्लिकेट में बनाई जायेंगी तथा प्रत्येक आइटम के अंक उस पर अंकित किये जायेंगे। अभ्यर्थी जिस आइटम में फेल हो जाता है उसे उसकी अंक तालिका में अंकित कर एक प्रति उसी समय अभ्यर्थी को दे दी जायेगी तथा दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करा लिये जायेंगे साथ ही इन सभी परिणामों को परीक्षा केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर जन सामान्य की सूचना हेतु चस्पा कर दिया जायेगा।

8— यदि किसी दिन किसी आइटम की परीक्षा किसी कारणवश अधूरी रहती हे तो उससे सम्बन्धित तालिका सीलबन्द कवर में क्वार्टर गार्ड की सेफ में सुरक्षित रखी जायेगी। दूसरे दिन परीक्षा प्रारम्भ होने पर ही उसे सेफ से निकालकर अग्रिम परीक्षा ली जायेगी।

9— शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

परिशिष्ट–4
नियम–15(ड) देखें
लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा1. शारीरिक नाप–जोख तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल/उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियो को ही लिखित परीक्षा में शामिल किया जायेगा।

2. लिखित परीक्षा का आयोजन तत्समय उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा कराया जायेगा

3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास प्रवेश पत्र अवश्य पहुंच जाय। यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र नहीं प्राप्त करता है, तो वह बोर्ड/सम्बन्धित जनपद के भर्ती केन्द्र की हेल्पलाईन मोबाइल/लैण्डलाईन टेलीफोन या वेबसाइट के माध्यम से सम्पर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है। लिखित परीक्षा की तिथि से अभ्यर्थियों को सम्बन्धित भर्ती केन्द्र के प्रभारियों द्वारा समाचारपत्रों के माध्यम से भी अवगत कराया जा सकता है

4. लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी तथा लिखित परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी।

5. लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ शैली की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न 70 अंक के एंव हिन्दी भाषा के प्रश्न 30 अंक के होंगे। इस प्रकार लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी।

6. लिखित परीक्षा में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को ही भर्ती प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा।

7. उक्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा का 01 प्रश्न पत्र होगा। प्रश्नपत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर के लिये 01 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 0.25 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा, लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

8. लिखित परीक्षा हेतु ओ0एम0आर0 शीट कार्बन प्रति के साथ तीन प्रतियों में होगी. प्रथम शीट मूल्याकंन हेतु सम्बन्धित संस्था को भेजी जायेगी, द्वितीय शीट सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी के पर्यवेक्षण में डबल लॉक में सुरक्षित रखी जायेगी तथा तृतीय शीट अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

9. लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला संबंधित चयन आयोग एवं उत्तराखण्ड पुलिस की बैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

10. लिखित परीक्षा सम्पादित कराने वाली संस्था द्वारा लिखित परीक्षा का परिणाम पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायेगी।

सम्बन्धित संस्था के प्राप्त लिखित परीक्षा के परिणाम को पुलिस मुख्यालय समस्त भर्ती केन्द्र प्रभारियों को परीक्षा का अन्तिम परिणाम तैयार करने हेतु उपलब्ध करायेगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को उत्तराखण्ड पुलिस की बैबसाइट पर भी प्रकाशित किया जायेगा।

परिशिष्ट–5
नियम–15(छ)देखें

चिकित्सा/स्वास्थ्य परीक्षण

स्वास्थ्य परीक्षण चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किसी राजपत्रित अधिकारी/सदस्य की देख–रेख मे चिकित्सा बोर्ड द्वारा कराया जायेगा। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षा फार्म भर्ती केन्द्र के जनपद में नियुक्त प्रतिसार निरीक्षक, नियमानुसार भर कर हस्ताक्षर करवायेंगे। सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा बोर्ड गठित कर मेडिकल करवाने हेतु सम्पर्क स्थापित करेंगे। अन्तिम रूप से आरक्षी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार कोई फीस देय नहीं है स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक अर्हतायें निम्नवत् हैः–

'' अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी ऑख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले वाली अभ्यर्थियों के लिये दाहिनी ऑख के लिये 6/6 और बॉये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बायी ऑख के लिये 6/6 होनी चाहिए वर्ण–अन्धता/भैंगापन से पूर्णरूप से नुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो–लैग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियॉ या समस्यायें जो आरक्षी की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, को अयोग्यता माना जायेगा।

टिप्पणी :– चिकित्सा बोर्ड नाक–नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वोरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण, जिसमें रि–नेज परीक्षण, वेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण आदि समाविष्ट हैं, जैसी कमियों का भी परीक्षण करेगा।

चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जायेगें, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। चिकित्सीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति की है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा।

परिशिष्ट–6

नियम–24(ख) देखें

विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना प्रवेशार्थ प्रान्तीय योग्यता परीक्षा प्रकिया

पात्रता 1. आरक्षी नागरिक पुलिस/अभिसूचना एवं आरक्षी सशस्त्र पुलिस के कर्मी मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस/अभिसूचना प्रवेशार्थ प्रान्तीय योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होंगे एवं विकल्प के आधार पर संवर्ग अनुमन्य किया जायेगा।

सशस्त्र पुलिस के मुख्य आरक्षी/आरक्षी, जिन्होनें मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस पदोन्नति पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो, इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

आयु की गणना 2. चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो।

सेवा अवधि की गणना 3. चयन वर्ष के प्रथम दिवस को पुलिस विभाग में भर्ती की तिथि से कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों। सेवावधि में गहन प्रशिक्षण को भी सम्मिलित किया जायेगा।

काडर विभाजन 4. अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य आबंटित हो गया हो तथा वह वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में नियुक्त हो।

सेवा अभिलेख 5. सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो:

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो एसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में बन्द कर दिया जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

लिखित परीक्षा 6. लिखित परीक्षा शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा सम्पादित कराई जायेगी। लिखित परीक्षा के विषय एवं अंकों का विवरण निम्नवत् हैः–

क0सं0	विषय	अधिकतम अंक
1	सामान्य ज्ञान तथा हिन्दी	100 अंक
2	पुलिस प्रकिया	100 अक
3	विधि	100 अंक
	कुल योग	**300 अंक**

लिखित परीक्षा हेतु तीन भाग का एक ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा। प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान व सामान्य हिन्दी, द्वितीय भाग में पुलिस प्रकिया तथा तृतीय भाग विधि का होगा। कुल प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा

तथा प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंग। प्रत्येक प्रश्न के लिये 02 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा अंक (एक चौथाई अंक) काट लिया जायेगा। प्रश्न संख्या 1 से 50 तक सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक पुलिस प्रकिया एंव प्रश्न संख्या 101 से 150 तक विधि से सम्बन्धित होंगे। प्रश्न पत्र हल करने हेतु 02 घंटे का समय निर्धारित होगा। सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी का प्रश्न पत्र इण्टर मीडियेट स्तर का होगा तथा पुलिस प्रकिया व विधि विषयों के प्रश्नपत्रों का स्तर वह होगा जो सामान्य रूप से किसी पुलिस कर्मी द्वारा पुलिस विभाग की सेवा में मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित हो। चयन प्रक्रिया मे आगे बने रहने हेतु लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अक अर्जित करना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने में विफल होंगे उन्हें पदोन्नति के लिये अयोग्य घोषित करते हुये उसी स्तर से चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) करायी जायेगी।

शारीरिक दक्षता परीक्षा

7. लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की गठित चयन समिति द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जायेगी, जिसके अंतर्गत पुरूष अभ्यर्थियों से 05 कि0मी0 की दौड़ 35 मिनट में एंव महिला अभ्यर्थियों हेतु 03 कि0मी0 की दौड़ 25 मिनट में पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी होगी। जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) निर्धारित समय में पूर्ण करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के लिये अयोग्य घोषित करते हुये उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा।

सेवा अभिलेखों का मूल्याकंन

8. **सेवा अभिलेखों पर आधारित अधिकतम अंक 50 अंक होंगे, जिनका निर्धारण निम्नवत होगा:–**

(1) कोर्स (10 अंक अधिकतम)

कोर्स का निर्धारण पुलिस महानिदेशक स्तर से विज्ञापन निर्गत करने से पूर्व वर्तमान परिवेश में पुलिस के समक्ष चुनौतियों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से किया जायेगा। आरक्षी के पद पर चयन/नियुक्त होने के उपरांत संबंधित कर्मचारी द्वारा किये गये कोर्स के अंक प्रशिक्षण अवधि के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगें:–

(क) 03 दिन से 07 दिन का कोर्स	02	अंक
(ख) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स	04	अंक
(ग) 15 दिन से 30 दिन का कोर्स	06	अंक
(घ) 01 माह से अधिक का कोर्स	08	अंक

(2) पुरस्कार/पदक (25 अंक अधिकतम) (क+ख=25 अंक)

(क)–प्रत्येक नकद रिवार्ड के लिए 01 अंक(अधिकतम 10 अंक)

(ख)–पदक (अधिकतम 15 अंक)

महामहिम राष्ट्रपति पुलिस पदक	10 अंक
मा0 प्रधान मंत्री जीवन रक्षा पदक	10 अंक
वीरता पुलिस पदक	10 अंक
सराहनीय सेवा पुलिस पदक	08 अंक
महामहिम राज्यपाल पदक	06 अक
मा0 मुख्यमंत्री पदक	06 अक

उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह	04 अंक
सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह	02 अंक

(3) वार्षिक मन्तव्य (15 अंक अधिकतम)

Outstanding/उत्कृष्ट/सर्वोत्कृष्ट 2 अंक(प्रत्येक मंतव्य पर)

very good/excellent/अतिउत्तम/बहुत अच्छा 1 अंक (प्रत्येक मंतव्य पर)

(4) ऋणात्मक अंक

(क) विगत 05 वर्षों से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रत्येक प्रतिकूल सत्यनिष्ठा/दीर्घ दण्ड के लिये 05 अंक की कटौती होगी।

(ख) विगत 5 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 2 अंक की कटौती होगी।

(ग) विगत 5 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 1 अंक की कटौती होगी ।

सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य विगत 10 वर्षों के आंकलित होंगे तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षों का किया जायेगा जबकि सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरस्कार, पदक आदि के लिए चयन वर्ष की प्रथम जनवरी तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा ।

अन्तिम योग्यता सूची 9. चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों मे प्राप्त अंकों का योग करने के उपरान्त प्रचलित आरक्षण नियमों के अधीन अंतिम योग्यता सूची तैयार करके उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ज्येष्ठता के आधार पर एवं प्रान्तीय योग्यता परीक्षा के आधार पर मुख्य आरक्षी पदोन्नति प्रशिक्षण हेतु योग्य प्रशिक्षणार्थियों का चयन करते हुये चयनित कर्मियों की मैरिट सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी । अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों के अंक एंव लिखित परीक्षा के अंक समान होने पर श्रेष्ठता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:–

(क) मौलिक नियुक्ति की तिथि।

(ख) मौलिक नियुक्ति की तिथि एक ही होने पर –जिसकी आयु अधिक होगा वह वरिष्ठ माना जायेगा।

(ग) मौलिक नियुक्ति की तिथि तथा जन्म तिथि दोनों के समान होने पर सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद के गहन प्रशिक्षण के दौरान आर0टी0सी0 की ट्रैनिंग की समाप्ति पर लिखित एंव बाह्य परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित होगी।

(घ) मौलिक नियुक्ति की तिथि, जन्म तिथि तथा आर0टी0सी0 की परीक्षा से कुल प्राप्तांक समान होने पर सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद के गहन प्रशिक्षण के दौरान आर0टी0सी0 ट्रैनिंग की बाह्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

प्रशिक्षण 10. मुख्य आरक्षी पदोन्नति प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को ऐसा आधारभूत प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

पदोन्नति आदेश 11. निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण एंव व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले कर्मियों को मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने विषयक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए जायेंगे। अभिसूचना विभाग से चयनित कार्मिकों को मुख्य आरक्षी अभिसूचना के पद पर पदोन्नति प्रदान की जायेगी।

परिशिष्ट–7

नियम–24(ख) देखें

विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस प्रवेशार्थ प्रान्तीय योग्यता परीक्षा प्रकिया

पात्रताः 1. मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस हेतु विभागीय परीक्षा में आरक्षी सशस्त्र पुलिस ही सम्मिलित होंगे।

आयु की गणना 2. चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो।

सेवा की गणना 3. चयन वर्ष के प्रथम दिवस को पुलिस विभाग में भर्ती की तिथि से कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों। सेवावधि में गहन प्रशिक्षण को भी सम्मिलित किया जायेगा।

काडर विभाजन 4. अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य आबंटित हो गया हो तथा वह वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में नियुक्त हो।

सेवा अभिलेख 5. सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो,

" दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो एसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में बन्द कर दिया जायेगा।" निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

लिखित परीक्षाः 6. लिखित परीक्षा शासन द्वारा प्राधिकृत शासकीय संस्था द्वारा सम्पादित कराई जायेगी। लिखित परीक्षा के विषय एंव अंकों का विवरण निम्नवत् हैः–

क0सं0	विषय	अधिकतम अंक
1	प्रथम भाग, सामान्य ज्ञान तथा हिन्दी	100 अंक
2	द्वितीय भाग, पुलिस प्रकिया	100 अंक
3	तृतीय भाग, कानून विषयों पर आधारित विधि	100 अंक
	कुल योग	300 अंक

लिखित परीक्षा हेतु तीन भाग का 01 ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा। प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी, द्वितीय भाग में पुलिस प्रकिया तथा तृतीय भाग विधिक का होगा। कुल प्रश्न पत्र 300 अकों का होगा तथ प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिये 02 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा अंक (एक चौथाई अंक) काट लिया जायेगा, प्रश्न संख्या 01 से 50 तक सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक पुलिस प्रकिया एवं प्रश्न संख्या 101 से 150 तक विधि (LAW) से सम्बन्धित

होंगे। प्रश्न पत्र हल करने हेतु 02 घण्टे का समय निर्धारित होगा। सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी का प्रश्न पत्र इण्टरमिडियेट स्तर का होगा तथा पुलिस प्रकिया व विधि विषयों के प्रश्नों का स्तर वह होगा जो सामान्य रूप से किसी पुलिस कर्मी द्वारा पुलिस विभाग की सेवा में मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित हो। चयन प्रकिया में आगे बने रहने हेतु लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने में विफल होंगे उन्हें पदोन्नति के लिये अयोग्य घोषित करते हुये उसी स्तर से चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों की आई0टी0/पी0टी0 परीक्षा कराई जायेगी।

बाह्य परीक्षाः

7. **पूर्णांक— 100 अंक**

लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मुख्यालय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा आई0टी0/पी0टी0 परीक्षा कराई जायेगी, जिसके अन्तर्गत आई0टी0 60 अंक तथ पी0टी0 40 अंक की होगी। प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो परीक्षार्थी 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के लिये अयोग्य घोषित करते हुये उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा।

(I) आई0टी0 परीक्षा	—	**60 अंक।**
टर्न आउट	—	05 अंक।
व्यक्तिगत् प्रदर्शन	—	15 अंक।
कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल	—	25 अंक।
वेपन्स	—	15 अंक।
(II) पी0टी0 परीक्षा	—	**40 अंक।**
व्यक्तिग् प्रदर्शन	—	15 अंक।
इंस्ट्रेक्टर एबिलिटी	—	15 अंक।
दौड़ (05 कि0मी0)	—	10 अंक।
24 मिनट पर	—	10 अंक।
27 मिनट पर	—	08 अंक।
30 मिनट पर	—	6.5 अंक।
33 मिनट पर	—	05 अंक।
36 मिनट पर	—	3.5 अंक।
39 मिनट पर	—	02 अंक।
42 मिनट पर	—	0.5 अंक।

सेवा अभिलेखों का मूल्याकंन

8. सेवा अभिलेखों पर आधारित अधिकतम अंक 50 होंगे, जिनका निर्धारण/मानक निम्नवत होगाः—

(1) कोर्स (10 अंक अधिकतम)

कोर्स का निर्धारण पुलिस महानिदेशक स्तर से विज्ञापन निर्गत करने से पूर्व वर्तमान परिवेश में पुलिस के समक्ष चुनौतियों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से किया जायेगा। आरक्षी के पद पर चयन/नियुक्त होने के उपरांत संबंधित कर्मचारी द्वारा किये गये कोर्स के अंक प्रशिक्षण अवधि के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगे:—

(क) 03 दिन से 07 दिन का कोर्स 02 अंक
(ख) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स 04 अंक

(ग) 15 दिन से 30 दिन का कोर्स 06 अंक
(घ) 31 से 59 दिन का कोर्स 08 अंक
(ङ) 02 माह से अधिक का कोर्स 10 अंक

(2) पुरस्कार/पदक (25 अंक अधिकतम) (क+ख=25 अंक)

(क)–प्रत्येक नकद रिवार्ड के लिए 01 अंक **(अधिकतम 10 अंक)**

(ख)–पदक(अधिकतम 15 अंक)

महामहिम राष्ट्रपति पुलिस पदक	10 अंक
मा0 प्रधान मंत्री जीवन रक्षा पदक	10 अंक
वीरता पुलिस पदक	10 अंक
सराहनीय सेवा पुलिस पदक	08 अंक
महामहिम राज्यपाल पदक	06 अंक
मा0 मुख्यमंत्री पदक	06 अंक
उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह	04 अंक
सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह	02 अंक

(3) वार्षिक मन्तव्य (15 अंक अधिकतम)

Outstanding/उत्कृष्ट/सर्वोत्कृष्ट 2 अंक(प्रत्येक मंतव्य पर)
very good/excellent/अतिउत्तम/बहुत अच्छा 1 अंक(प्रत्येक मंतव्य पर)

ऋणात्मक अंक 9. (क) विगत 05 वर्षों से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रत्येक प्रतिकूल सत्यनिष्ठा/दीर्घ दण्ड के लिये 05 अंक की कटौती होगी।

(ख) विगत 5 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 2 अंक की कटौती होगी।

(ग) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 1 अंक की कटौती होगी ।

सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य विगत 10 वर्षों के आंकलित होंगे तथा **दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षों** का किया जायेगा जबकि सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरूष्कार, पदक आदि के लिए चयन वर्ष की प्रथम जनवरी तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा।

अन्तिम मैरिट सूची 10. चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा, बाह्य परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों में प्राप्त अंकों का योग करने के उपरान्त प्रचलित आरक्षण नियमों के अधीन अंतिम योग्यता सूची तैयार करके उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी पदोन्नति प्रशिक्षण हेतु योग्य प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा तथा ऐसे चयनित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के समान होने पर ज्येष्ठता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:–

(क) मौलिक नियुक्ति की तिथि।

(ख) मौलिक नियुक्ति की तिथि एक ही होने पर –जिसकी आयु अधिक होगी वह वरिष्ठ माना जायेगा।

(ग) मौलिक नियुक्ति की तिथि तथा जन्म तिथि दोनों के समान होने पर सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद के गहन प्रशिक्षण के दौरान आर0टी0सी0 की ट्रेनिंग की समाप्ति पर लिखित एंव बाह्य परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित होगी।

(घ) मौलिक नियुक्ति की तिथि, जन्म तिथि तथा आर0टी0सी0 की परीक्षा से कुल प्राप्तांक समान होने पर सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद के गहन प्रशिक्षण के दौरान आर0टी0सी0 ट्रैनिंग की बाह्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

प्रशिक्षण 11. मुख्य आरक्षी पदोन्नति प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को ऐसा आधारभूत प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

पदोन्नति आदेश 12. आधारभूत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले कर्मियों को मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने विषयक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

परिशिष्ट–8
नियम–24(ख) देखें

वरिष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

पदोन्नति का आधार

1. पदोन्नति का आधार अनुपयुक्तों को छोड़कर वरिष्ठता होगा।

काडर विभाजन

2. अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य आंबटित हो गया हो तथा वह वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में नियुक्त हो।

सेवा अभिलेख

3. सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो:

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो एसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रकिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो सम्बन्धित कर्मी को रिट याचिका दायर करने का अधिकार होगा परन्तु यदि सम्बन्धित कर्मचारी निर्धारित समयअवधि में याचिका दायर कर विभाग को सूचित करने में असमर्थ रहता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे कार्मिक की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका चयन परिणाम लिफाफे में सील–बन्द कर दिया जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा।

वरिष्ठता का निर्धारण

4. वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने हेतु आरक्षियों की वरिष्ठता सूची निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित की जायेगी:–

(क) मौलिक नियुक्ति की तिथि।

(ख) मौलिक नियुक्ति की तिथि एक ही होने पर जन्मतिथि–जिसकी आयु अधिक होगी वह वरिष्ठ माना जायेगा।

(ग) मौलिक नियुक्ति की तिथि तथा जन्म तिथि दोनों के समान होने पर आरक्षी पद हेतु आर0टी0सी0 की ट्रैनिंग की समाप्ति पर लिखित एंव बाह्य परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित होगी।

(घ) मौलिक नियुक्ति की तिथि, जन्म तिथि तथा आरक्षी पद हेतु आर0टी0सी0 की परीक्षा में कुल प्राप्तांक समान होने पर आर.टी.सी. ट्रैनिंग की बाह्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

प्रशिक्षण

5. मुख्य आरक्षी पदोन्नति प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को ऐसा आधारभूत प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

पदोन्नति आदेश

6. निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण/व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करने वाले कर्मियों को मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस/अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने विषयक आदेश मुख्यालय स्तर से निर्गत किये जायेंगे।